



दिनांक 21.10.2020

प्रेस विज्ञप्ति-21/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस स्मृति दिवस-2020 परेड सम्पन्न

आज दिनांक 21-10-2020 को प्रातः पुलिस लाइन लखनऊ में पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया। श्री एच०सी० अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के आगमन पर परेड स्थल पर उन्हें सलामी दी गयी। परेड कमाण्डर श्री सन्तोष कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय लखनऊ, श्री अतुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक, ए०टी०एस० लखनऊ, सेकेण्ड कमाण्डर, श्री अवध सिंह, सहायक सेनानायक 43वीं वाहिनी पीएसी एटा, तृतीय कमाण्डर रहे। परेड में पीएसी, नागरिक पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिस, जीआरपी, एटीएस, आरआरएफ, अग्निशमन दल एवं एसडीआरएफ पुलिस की कुल 12 टुकड़ियाँ सम्मिलित हुई।

इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री उ०प्र० श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ। श्री एच०सी० अवस्थी पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी, श्री बी०के० सिंह एवं श्री रवि जोसफ लोक्कू, अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जी०एस०ओ० के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी सलामी मंच पर पहुँचे। परेड द्वारा उन्हें सलामी दी गयी, तत्पश्चात् सहायक सेनानायक 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर श्रीमती वंदना सिंह द्वारा शहीद पुस्तिका को ससम्मान सलामी मंच तक लाया गया। जहाँ पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री जी ने शहीद पुस्तिका को सलामी मंच पर प्रतिस्थापित किया।

पुलिस महानिदेशक द्वारा शहीद पुलिसजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशभर में 01 सितम्बर 2019 से 31 अगस्त 2020 तक शहीद हुए 264 पुलिसजनों की प्रदेशवार जानकारी दी गयी। उ०प्र० के 09 पुलिसजनों 1.स्वर्गीय श्री देवेन्द्र मिश्रा, पुलिस

उपाधीक्षक, कानपुर नगर, 2.स्वर्गीय श्री अनूप कुमार सिंह, उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस कानपुर नगर, 3. स्वर्गीय श्री महेश कुमार यादव, उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस कानपुर नगर, 4.स्वर्गीय श्री नेबूलाल, उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर 5.स्वर्गीय श्री जितेन्द्र पाल, आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, 6- स्वर्गीय सुल्तान सिंह, आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, 7- स्वर्गीय श्री राहुल कुमार, आरक्षी नागरिक पुलिस कानपुर नगर, 8- स्वर्गीय श्री बबलू कुमार, आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद कानपुर नगर, 9-स्वर्गीय श्री जितेन्द्र कुमार मौर्य, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद अमेठी के विषय में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ने कहा कि आज हम अपने उन वीर साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये यहां एकत्र हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य की वेदी पर गत एक वर्ष में अपने प्राण न्यौछावर किये हैं। धन्य हैं, वे बहादुर पुलिसजन जिन्होंने दृढ़ता से कर्तव्य पालन करते हुये जीवन का बलिदान किया।

मृत्यु तो केवल भौतिक अस्तित्व को ही समाप्त कर पाती है किन्तु वीरों की वीरगाथायें सदैव जनमानस को प्रेरणा देती है। वीर शहीद, काल एवं समय से परे होते हैं। ऐसा ही इतिहास इकसठ (61) वर्ष पूर्व का है। 21 अक्टूबर, 1959 को लद्दाख क्षेत्र में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक टुकड़ी देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगी थी। अचानक शत्रु सेना ने उसे घेर लिया परन्तु हमारे 10 जवानों ने, अपने अदम्य साहस व शौर्य का परिचय देते हुए, मातृभूमि की रक्षा में जबाबी कार्यवाही करते हुये, कर्तव्य पथ पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। इन्ही वीर सपूतों की याद में सभी प्रदेशों की पुलिस तथा सभी केन्द्रीय पुलिस संगठनों में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर हम शहीद पुलिसजनों को याद करते हैं, नमन करते हैं एवं अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं।

मैं इन दिवंगत पुलिसजनों को समस्त पुलिस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि उनके परिवारीजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति

प्रदान करें। इसके बाद शहीद पुस्तिका वापस प्राप्त कर वाहक द्वारा शहीद स्मारक स्थल तक ले जायी गयी।

शहीद स्मारक स्थल पर मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, मा0 मंत्रीगण, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह एवं अपर मुख्य सचिव सूचना तथा पुलिस/प्रशासनिक/सेना के अधिकारियों, पुलिस कर्मियों तथा सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन् किया गया। पुलिस बलों ने शहीदों को सलामी दी तथा शोक प्रदर्शित किया।

इस अवसर पर मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा संबोधन के उपरांत शहीद पुलिसजनों के परिजनों से भेंट कर उनकी कुशलक्षेम पूछते हुये उन्हे ढाढंस बंधाया गया।







जनपद बिजनौर/थाना नगीना

- 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

- 500 ग्राम चरस व चोरी के रूपये आदि बरामद

दिनांक 21.10.2020 को थाना नगीना व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बढापुर रोड़ ईदगाह के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी शाहिद उर्फ पप्पी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 500 ग्राम चरस, 02 लाख 58 हजार रूपये का नकली नोट, चोरी के 04 हजार रूपये, 01 मोटर साइकिल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर व टाप टेन अपराधी है, जिसके विरुद्ध उत्तराखंड प्रांत व जनपद बिजनौर के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त थाना नगीना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-433/2020 धारा 380/411 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना नगीना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-शाहिद उर्फ पप्पी निवासी मौ0 कलानान कस्बा/ थाना नगीना जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1-500 ग्राम चरस।

2-02 लाख 58 हजार रूपये के नकली नोट।

3-चोरी के 4 हजार रूपये।

4-घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद सिद्धार्थनगर/थाना ढेबरुआ

- 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार लगभग 01 करोड़ 11 लाख रूपये कीमत की 02 किलो 228 ग्राम अवैध अफीम बरामद

दिनांक 20.10.2020 को थाना ढेबरुआ पुलिस टीम व एस0एस0बी0 व कस्टम की संयुक्त टीम द्वरीर एसएसबी चेक पोस्ट से अभियुक्त लाल बहादुर को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 01 करोड़ 11 लाख रुपये कीमत की 02 किलो 228 ग्राम अवैध अफीम, 02 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस संबंध में थाना ढेबरूआ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—लाल बहादुर निवासी वार्ड नं0-08 बाफी कोट थाना मगमा जिला रूकुम, नेपाल राष्ट्र।

बरामदगी:—

1—02 किलो 228 ग्राम अवैध अफीम कीमत लगभग 01 करोड़ 11 लाख रुपये।
2—02 मोबाइल फोन।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना बसखारी

- 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार,
- 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 21.10.2020 को थाना बसखारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मसड़ा बाजार के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी मनीष कुमार उर्फ रिंकू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बसखारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-286/2020 धारा 395 भादवि में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बसखारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मनीष कुमार उर्फ रिंकू निवासी रमईपुर थाना कोतवाली हंडिया जनपद प्रयागराज।

बरामदगी

01 तमंचा 315 बारे, 02 जीवित कारतूस।

जनपद हापुड़ / थाना सिम्भावली

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अपराधी गिरफ्तार
- 26 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचे 315 बोर, 08 जीवित, 02 खोखा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 20.10.2020 को थाना सिम्भावली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रजवाहे की पटरी जंगल ग्राम शरीफपुर से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे शातिर अपराधी 1-बाबू 2- जगत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 26 निर्मित/अर्द्धनिर्मित, अवैध तमंचे 315 बोर, 08 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस संबंध में थाना सिम्भावली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-बाबू निवासी ग्राम आरिफपुर, सरावनी थाना बाबूगढ़ जिला हापुड़।
- 2-जगत निवासी शरीफपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़।

बरामदगी

- 1-26 निर्मित/अर्द्धनिर्मित, अवैध तमंचे 315 बोर, 08 जीवित कारतूस, 02 खोखा कारतूस।
- 2- अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, पुर्जे आदि।

जनपद पीलीभीत/थाना सोनगढ़ी (गैंगेस्टर एक्ट में अपराधी की लगभग 10 लाख रुपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)

जनपद पीलीभीत पुलिस द्वारा गैंग बनाकर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त फईम कुरैशी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 10 लाख रुपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एसटीएफ: आई0पी0एल0 बेटिंग एक्सचेन्ज गिरोह का भण्डाफोड़ कर 02 अभियुक्तों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार।

दिनांक 21-10-2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को आई0पी0एल0 बेटिंग एक्सचेन्ज गिरोह का भण्डाफोड़ कर लखनऊ से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रूपये 2,81,700/- मात्र व बेटिंग सम्बन्धी अन्य सामग्री बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- प्रशान्त वर्मा पुत्र अमरदेव वर्मा नि0 110/4, साइड न0-1, थाना किदवई नगर, कानपुर नगर।
- 2- पियूष गुप्ता पुत्र हरीओम गुप्ता नि0 87/149, देव नगर, थाना रायपुरवा, कानपुर नगर।

बरामदगी:-

1. नगद रू0 2,81,700/- (दो लाख इक्यासी हजार सात सौ मात्र)
2. मोबाईल 01 अदद।
3. एक अदद आधार कार्ड,
4. एक अदद डी0एल0,
5. एक अदद होण्डा कार डब्लू0आर0वी0 नं0 यू0पी0-78, एफ0वाई0-0285

गिरफ्तारी का स्थान व समय

दिनांक-21-10-2020 समय 02:05 बजे, गौरी बाजार, आशियाना, लखनऊ

आई0पी0एल0-2020 क्रिकेट मैच शुरू होने के बाद एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को सूचनायें प्राप्त हो रही थी कि वर्तमान में चल रहे आई0पी0एल0 मैच 2020 में बेटिंग एक्सचेन्ज बनाकर के लोगों को जोड़ कर प्रत्येक मैच में सट्टा बाजी का काम संगठित गिरोह संचालित कर रहा है, जिसके विरुद्ध कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री डी0के0 शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन/मुखबिर द्वारा ज्ञात हुआ कि कानपुर नगर में आईपीएल बेटिंग करने वाले का एक संगठित गिरोह सक्रिय है, जिसका सरगना प्रशान्त वर्मा है। यह भी ज्ञात हुआ कि प्रशान्त वर्मा द्वारा पकड़े जाने के डर से अपने साथियों के साथ दूसरे शहरों में गाड़ी में घूम-धूम कर आई0पी0एल0 मैच में बेटिंग किये जाने का कार्य किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक श्री सतेन्द्र विक्रम सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 नीरज पाण्डेय, मु0आ0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह, मु0आ0 प्रदीप कुमार सिंह व मु0आ0 बृजेश कुमार सिंह की एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँच कर गाड़ी में बैठे 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर सट्टा खिलाने के कारोबार को स्वीकार किया और बताया है कि वह काफी दिनों से इस अवैध काम को कर रहे हैं। सरगना प्रशान्त वर्मा ने बताया कि वह इससे पूर्व भी इसी काम में जेल जा चुका है। जेल से आने के बाद वह फिर जुए के काम में सक्रिय हो गया है। पकड़े जाने के डर से वह अब स्थान व शहर बदल-बदल कर अपनी गाड़ी में ही फोन द्वारा बेटिंग का कार्य कर रहा है। उसके फोन में लाईव लाइन पड़ा हुआ है, इसी को डब्ला फोन कहते हैं यह सीधे लाइन से जुड़ा हुआ है। उससे आई0पी0एल0 खेल रही टीमों के भाव बताये जाते हैं। जैसे यदि डब्ला फोन से 55-60 पंजाब बोला गया तो 55 पंजाब का व 60 विरोधी

टीम का भाव होता है। इस भाव पर जिस टीम का नम्बर पहले बोला जाता है वह फेवरेट (जिताव) टीम तथा जिसका नम्बर बाद में बोला जाता है उसे लंगड़ी टीम (हारने वाली टीम) कहते हैं। सट्टे की भाषा में डिब्बा फोन को बुकी बोला जाता है। डिब्बा फोन से मेरे जैसे कई बुकी कनेक्शन लिये हुए हैं। कनेक्शन का रू0 2000/— प्रति माह देना होता है। यह कारोबार विश्वास की नीव पर टिका होता है। इस लिए परिचित बुकी ही बेटिंग में शामिल किये जाते हैं। पैसे का लेन—देन हवाला के माध्यम से किया जाता है। किसी भी जनपद में बुकी/पन्टर से पैसे का लेन—देन उसी जनपद में मुख्य बुकी अपने खास व्यक्तियों के माध्यम से सम्पादित कराता है। बुकी कमीशन व कटिंग के माध्यम से इस कारोबार में धन कमाता है। जैसे यदि बुकी 01 प्रतिशत कमीशन पर कार्य कर रहा है तो 100 रूपया हारने पर मुख्य बुकी को 01 रूपया कमीशन मिलता है, जीतने पर कुछ भी नहीं मिलता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना आशियाना, कमिश्नरेट लखनऊ में मु0अ0सं0 525/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।
